न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 264/2021

सुनिल पुत्र होशियार सिंह, ग्रा0पो0 पिचानवां, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, मो0न0 8740007011

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 03.01.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 13.12.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 264/2021 पर दिनांक 13.12.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/3870–71 दिनांक 13.12.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ ने पत्रांक पाठक/2021/294 दिनांक 29.12.21 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2021 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसकी सूचना आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0/2021/238 दिनांक 12.11.2021 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई कि पिचानवा गांव के अन्तर्गत कृषि भूमि खाता संख्या 83 का फौती नामान्तरकरण के लिए तारीख 17.10.2019 को पटवारी कार्यालय लाखू मे संबंधित दस्तावेज के साथ पावती प्राप्त की थी जिस पर तहसीलदार सूरजगढ ने भी अनुशंषा जारी की थी। अभी तक क्या कार्यवाही हुई व नामान्तरकरण स्वीकृत नही होने का कारण स्पष्ट करें। समस्त सूचना उपलब्ध करावें। प्रार्थी को सूचना दी गई कि आपका फौती नामान्तरकरण संख्या 504 दिनांक 27.10.2021 को स्वीकृत किया जा चुका है। प्रकरण मे आवेदक को चाही गई सूचना समय पर भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ पत्रांक पाठक/2021/294 दिनांक 29.12.21 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2021 को उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसकी सूचना आवेदक को उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0/2021/238 दिनांक 12.11.2021 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई कि पिचानवा गांव के अन्तर्गत कृषि भूमि खाता संख्या 83 का फौती नामान्तरकरण के लिए तारीख 17.10.2019 को पटवारी कार्यालय लाखू मे संबंधित दस्तावेज के साथ पावती प्राप्त की थी जिस पर तहसीलदार सूरजगढ ने भी अनुशंषा जारी की थी। अभी तक क्या कार्यवाही हुई व नामान्तरकरण स्वीकृत नही होने का कारण स्पष्ट करें। समस्त सूचना उपलब्ध करावें। प्रार्थी को सूचना दी गई कि आपका फौती नामान्तरकरण संख्या 504 दिनांक 27.10.2021 को स्वीकृत किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 03.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/01/22

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं